

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/आर-165/2023-

/स्वा०,

पटना, दिनांक

/

/2025

डा० आलोक राज, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, त्रिवेणीगंज, सुपौल के दिनांक-25.08.2022 से 09.01.2023 तक के प्रभार रहित अवधि को निम्नरूप में विनियमित किया जाता है:-

1.	दिनांक-25.08.2022 से 09.09.2022 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)।
2.	दिनांक-10.09.2022 से 14.09.2022 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में।
3.	दिनांक-15.09.2022 से 16.09.2022 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)।
4.	दिनांक-17.09.2022 से 20.09.2022 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में।
5.	दिनांक-21.09.2022 से 21.10.2022 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)।
6.	दिनांक-22.10.2022 से 31.10.2022 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में।
7.	दिनांक-01.11.2022 से 29.11.2022 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)।
8.	दिनांक-30.11.2022 को	-	असाधारण अवकाश के रूप में।
9.	दिनांक-01.12.2022 से 30.12.2022 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)।
10.	दिनांक-31.12.2022 से 09.01.2023 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-165/2023

725(2)

पटना, दिनांक

9/15/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, त्रिवेणीगंज, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/डा० आलोक राज, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, त्रिवेणीगंज, सुपौल/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।